

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर ०८ NOV 2013
कमांक एफ २-११३/सात-१/२००८ रायपुर, दिनांक नवम्बर, २०१३
प्रति,

१. समस्त संभागीय आयुक्त
२. संचालक,
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर
३. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित (संशोधन) नियम अधिसूचना कमांक एफ २-११३/सात-१/२००८ दिनांक २४ अक्टूबर, २०१३।

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) कमांक ४९२ दिनांक २५ अक्टूबर, २०१३ को प्रकाशित, कृषि भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन पर प्रीमियम निर्धारण दरों में (संशोधन) नियम अधिसूचना कमांक एफ २-११३/सात-१/२००८ दिनांक २४ अक्टूबर, २०१३ की राजपत्रित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

०८/११३
(क.सी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक नवम्बर, २०१३

पृ० कमांक एफ २-११३/सात-१/२००८
प्रतिलिपि:-

राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ (असाधारण) कमांक ४९२ दिनांक २५.१०.२०१३ को प्रकाशित राजपत्रित प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया राजस्व विभाग की बेबसाइड में अपलोड करने का कष्ट करें।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/तुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 — कार्तिक 3, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-113/सात-1/2008. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में, संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित करने पर, प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए, प्रीमियम के निर्धारण एवं अधिरोपण के परिवर्तन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 और यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.11-7-सात-एस-8-89, दिनांक 24 जनवरी, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 14 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित करने पर, प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-अ के कॉलम (1) में यथा दर्शित निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा और उक्त अनुसूची के कॉलम (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) में विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए, यथास्थिति, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्गों के अनुसार प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा.”

2. नियमों से संलग्न अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची-अ तथा ब प्रतिस्थापित की जाए; अर्थात्:-

“अनुसूची-अ
(नियम 14 देखिए)

वर्ग	आवासीय प्रयोजन	आवासीय कालोनी/परियोजना	वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन	सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन	विशेष आर्थिक क्षेत्र	चिकित्सा सुविधाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

वर्ग-एक

1. नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्र.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 25.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर
2. नगर निगम तथा नगरपालिका क्षेत्र की बाह्य सीमा के 05 कि. मी. के अंदर.	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर

वर्ग-दो

1. नगर पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर
2. नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 कि. मी. का क्षेत्र.	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर

वर्ग-तीन

ग्रामीण क्षेत्र.	रु. 3.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर
------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

अनुसूची-ब

(नियम 14 देखिए)

सरल क्रमांक	एकीकृत उपनगर योजना/अन्य निवेश एवं विशेष क्षेत्र का नाम	अधिरोपित की जाने वाली प्रीमियम की को
(1)	(2)	(3)

1.	रायपुर, नया रायपुर	रु. 100 प्रति वर्गमीटर
2.	बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई	रु. 80 प्रति वर्गमीटर
3.	अन्य निवेश एवं विशेष क्षेत्र	रु. 60.00 प्रति वर्गमीटर

Raipur, the 24th October 2013

NOTIFICATION

No. F 2-113/Seven-1/2008.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 258 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Notification No. 175-6477-VII-N (Rules), dated 6th January, 1960 and as amended vide Notification No. F.11-7-VII-S-8-89 dated 24th January, 2000, regarding Alteration of Assessment and Imposition of Premium, for the purpose of levy of premium on agricultural land other than the land specified in the proviso to sub-section (5) of Section 59 of the code diverted to non-agricultural purposes, in any town or village in the State of Chhattisgarh, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 258 of the said Code, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of rule 14, the following shall be substituted, namely :-

“(1) For the purpose of levy of premium of agricultural land other than the land specified in the proviso to sub-section(5) of Section 59 of the Code diverted to non-agricultural purposes, in any town and village in the State of Chhattisgarh shall be divided into the following classes as shown in column (1) of Schedule -A appended to these rules and the premium shall be imposed according to the rates specified in column (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of the said Schedule and for the areas specified in column (2) of Schedule-B appended to these rules the premium shall be imposed according to the rates specified in column (3) of the said Schedule, as the case may be.”
2. For the Schedule appended to the rules, the following Schedule-A and B shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE- A
(See Rule 14)

Classes (1)	Residential purpose (2)	Residential Unit/colony/ project (3)	Commercial or industrial purpose (4)	Public / Institutional propose (5)	Special Economic Zone (6)	Medical facility (7)
----------------	-------------------------------	---	---	---	------------------------------------	----------------------------

Class- 1

1. Municipal Corporation and Nagar Palika Area.	Rs. 15.00 per Square meter	Rs. 20.00 per Square meter	Rs. 25.00 per Square meter	Rs. 20.00 per Square meter	Rs. 20.00 per Square meter	Rs. 15.00 per Square meter
2. 5 Kms. within the municipal Corporation and Nagar Palika Area.	Rs. 10.00 per Square meter	Rs. 15.00 per Square meter	Rs. 20.00 per Square meter	Rs. 15.00 per Square meter	Rs. 15.00 per Square meter	Rs. 10.00 per Square meter

Class- 2

1. All area of Nagar Panchayat.	Rs. 5.00 per Square meter	Rs. 7.50 per Square meter	Rs. 10.00 per Square meter	Rs. 7.50 per Square meter	Rs. 10.00 per Square meter	Rs. 7.50 per Square meter
2. 2 Kms. away from the radius Nagar Panchayat.	Rs. 4.00 per Square meter	Rs. 5.00 per Square meter	Rs. 7.50 per Square meter	Rs. 5.00 per Square meter	Rs. 7.50 per Square meter	Rs. 5.00 per Square meter

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Class-3						
Rural Areas	Rs. 3.00 per Square meter	Rs. 4.00 per Square meter	Rs. 5.00 per Square meter	Rs. 4.00 per Square meter	Rs. 5.00 per Square meter	Rs. 4.00 per Square meter

SCHEDULE -B

(See Rule 14)

S. No.	Integrated sub-town scheme/ name of other investment and special Area	Rate of Premium to be Imposition
(1)	(2)	(3)
1.	Raipur, Naya Raipur	Rs. 100.00 per Sq. Metre
2.	Bilaspur, Durg, Bhilai	Rs. 80.00 per Sq. Metre
3.	Other planning and particular ones	Rs. 60.00 per Sq. Metre"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.